मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 17–2/96/आई.एफ./चार, भोपाल, दिनांक 24/2/96

–:आदेशः–

विषयः– बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं की स्वीकृति, मानीटरिंग एवं प्रबंधन हेतु परियोजना प्रबंध इकाई का गठन ।

————————

प्रदेश में शासकीय स्त्रोतों से पूंजी–निवेश के लिए संसाधनों की अनुपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में विकास की गति बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त करना राज्य शासन के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है । परन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं का क्रियान्वयन, तथा प्राप्त सहायता का संवितरण, धीमी गति से हो रहा है । शासन द्वारा यह भी अनुभव किया जा रहा है कि विभिन्न विभागों के नये प्रस्तावों की व्यावसायिक रूप से तैयारी होना आवश्यक है जिससे, कि मध्यप्रदेश शासन तथा बाहरी ऋण दाताओं की प्राथमिकताओं में उचित समन्वय हो सके।

2. उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिये प्रथम चरण में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदेश क्रमांकः 1259–94–1–8–59 दिनांक 22 नवम्बर 1994 जारी किये गये थे जिससे विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समन्वय के लिये संचालक, संस्थागत वित्त को नोडल ऑफीसर घोषित किया गया था । अब वर्तमान प्रशाासकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, भारत शासन की सलाह पर, राज्य शासन द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय "परियोजना प्रबंध इकाई" का गठन का निर्णय लिया गया है । भारत शासन द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार इस इकाई की स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, कम से कम तीन वर्ष तक विश्व बैंक के माध्यम से की जावेगी ।

3. राज्य शासन द्वारा समस्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (नवीन प्रस्तावित एवं प्रगति पर) की मानीटरिंग, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन का कार्य परियोजना प्रबंध इकाई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह "परियोजना प्रबंध इकाई" वित्त विभाग के अधीन प्रमुख सचिव वित्त के प्रभार में तथा आयुक्त संस्थागत वित्त के प्रशासकीय नियंत्रण में गठित की जाती है, एवं इसे

...2/

राज्य में क्रियान्वित की जा रही समस्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग का दायित्व सौंपा जाता है। परियोजना प्रबंध इकाई के गठन का उद्देश्य परियोजना प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार, निश्चित समय में समुचित वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित करना, परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को दूर करना एवं योजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्ति की मानीटरिंग करना होगा । परियोजना प्रबंध इकाई के कार्य निम्नानुसार होगें:–

3.1 विदेशी सहायता प्राप्ति हेतु समस्त परियोजना प्रस्तावों की गुणवत्ता, स्वीकृत होने की संभावनाएँ तथा परियोजना के पूर्ण होने पर उसे निरन्तर चालू रहने की क्षमता एवं आवर्ती व्यय के दृष्टिकोण से परीक्षण करना । परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना ।

3.2 विदेशी सहायता प्राप्त परियोंजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभागों के साथ प्रभावी समन्वय बनाये रखना, तथा राज्य स्तरीय समिति को ऐसी परियोजनाओं की प्रगति बाबत् अवगत कराना ।

3.3 समस्त चालू परियोजनाओं को मानीटरिंग करना। चालू परियोजनाओं की मानीटरिंग करने में सम्मिलित हैं: विदेशी संस्थाओं की एस.ए.आर., मिशन प्रतिवेदन, तथा निष्पादित अनुबन्धों के परिप्रेक्ष्य में भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करना। परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को दूर करना तथा कार्य परिणाम में सुधार हेतु क्रियान्वयन संस्था को मार्गदर्शन देना।

3.4 परियोजनाओं संबंधित विभिन्न वस्तुओं की खरीदी (Procurement) सिविल वर्कस, परामर्शदाता सेवाओं की प्राप्ति, प्रशिक्षण तथा स्थापना के मुद्दों पर सहायता करना।

3.5 परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकारियों को निम्नानुसार मुद्दों पर मार्गदर्शन देना :–

(क) वार्षिक योजना एवं बजट तैयारी।

(ख) पूरक प्राक्कलन तैयारी एवं क्रियान्वयक संस्थाओं को राशि वितरण।

...3/

(ग) व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावों की प्रस्तुति।

(घ) विभागों के योजना एवं बजट में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये समुचित प्रावधान रखना।

3.6 भारत सरकार से प्रत्येक दावे की प्रतिपूर्ति हेतु आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी सहायता लेखा एवं अंकेक्षण नियंत्रक, (सी.ए.ए.ए.) को प्रस्तुत दावों पर नजर रखना।

3.7 परियोजना व्यय, वृहद अनुबन्धों की स्वीकृति, वृहद गतिविधियों के त्रैमासिक क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना।

3.8 परियोजना हेतु अनुबंधित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3.9 परियोजना व्यय के वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण पूर्ण करवाने हेतु परियोजना प्राधिकारियों की स्मरण कराना, महालेखाकार से व्यय के आकड़ो का मिलान करना, तथा निर्धारित समय अवधि में विदेशी संस्था को प्रेषित करने के लिये अंकेक्षण प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।

3.10 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के साथ नोडल संस्था के रूप में सम्पर्क करना।

3.11 विदेशी सहायता प्रदाय संस्थाओं के मिशनों के भ्रमणों का समन्वय करना।

3.12 अन्य कार्य जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सौंपा जावे।

4. परियोजना प्रबंध इकाई समस्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये शासन की नोडल इकाई होगी। अतः नोडल इकाई की सहमति के उपरान्त ही समस्त विभागों द्वारा विदेशी सहायता संस्था/भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से सम्पर्क किया जावे। अन्य विभागों से वित्त विभाग को सन्दर्भित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मामलों का निराकरण परियोजना प्रबंध इकाई द्वारा, अथवा उसके अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जावेगा।

...4/

5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में परियोजना प्रबंध इकाई द्वारा विदेशी सहायता प्राप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जायेगा, साथ–साथ परियोजना प्रबंध इकाई द्वारा राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तथा बजट के साथ परियोजनाओं के निर्धारित प्राथमिकता क्रम में सामन्जस्य स्थापित किया जायेगा।

6. जहॉ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित प्रथक से उच्च स्तरीय सशक्त समितियॉ गठित हों, उनमें संबंधित विभाग द्वारा परियोजना प्रबंध इकाई के प्रभारी को सदस्य रखा जावेगा।

7. अनुदेश क्रमांक 1259–94–1–8–59 दिनांक 22.11.94 में दर्शायी गयी व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुये, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है :–

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, (वित्त)	उपाध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव (योजना)	सदस्य
विचाराधीन परियोजनाओं से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
आयुक्त/संचालक (संस्थागत वित्त)	सदस्य
इकाई प्रभारी/अपर सचिव/उप सचिव (परियोजना प्रबंध इकाई)	सदस्य सचिव

परियोजना प्रबंध इकाई द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की राज्य स्तरीय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य किया जावेगा ।

8. कार्य के महत्व को देखते हुए कठिनाईयों के त्वरित निराकरण हेतु तत्काल ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है । अतः सचिवालय के समस्त

...5/

विभाग एवं समस्त विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि परियोजना प्रबंध इकाई द्वारा समय–समय पर विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में चाही जाने वाली जानकारियॉ त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

राजन कटोच 24/2

(राजन कटोच)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ.17–2/96/आई.एफ./चार, भोपाल, दिनांक 24/2/96

प्रति,

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
2. मुख्य सचिव के विशेष सहायक मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
6. समस्त विभागाध्यक्ष (संबंधित)
7. आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. समस्त परियोजना अधिकारी, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें
9. प्रभारी, परियोजना प्रबंध इकाई, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली
2. सचिव, भारत शासन, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर
4. विदेशी सहायता लेखा एवं अंकेक्षण नियंत्रण (सी.ए.ए.ए.) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, इंडियन आयल भवन, जनपथ, नई दिल्ली

टी० एल० साहू 24-2-96

(टी.एल.साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग